रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 15 सितम्बर, 2003/24 भाद्रपद, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 सितम्बर, 2003

संख्या पीसीएच-एचबी (2) 10/99 12457-12560.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचबी (2) 12/77, तारीख 20-3-86, द्वारा अधिसूचित पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश में अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1986, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग अधीक्षक ग्रेड-1 वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) के संक्षिप्त नाम में शब्दों, चिन्ह और रोमन अंक "क्लास-II" के स्थान पर "क्लास-I" शब्द, चिन्ह और रोमन अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. परिशिष्ट "क" का संशोधन.—उक्त नियमों के परिशिष्ट "क" में,—

(क) स्तम्भ संख्या-3 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"वर्ग-I (राजपत्रित)"

(ख) स्तम्भ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"7220-220-8100-275-10300-340-11660 रुपये"

(ग) स्तम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगें, अर्थात् :—

"चयन" ;

(घ) स्तम्भ संख्या-11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका कम से कम ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति/सैकण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

1. प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(1) परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे, और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी इनमें से कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जायेगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे ऐक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व गम्भरण पद पर की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त यथा निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी' और

(ङ) स्तम्भ संख्या-12 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे; अर्थात :—

"विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अध्यक्षता, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी"।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. PCH-HB*(2)10/99, *dated* 1-9-2003 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 1*st September*, 2003

No. PCH-HB(2)10/99-12457-12560.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Superintendent Grade-I (Class-II, Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1986 notified *vide* Notification No. PCH-HB(2)12/77, dated 20-3-1986, namely:—

1. *Short title and commencement*.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Superintendent Grade-I (Class-I, Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2003.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of short title*.—In short title of the Himachal Pradesh, Panchayati Raj Department, Superintendent Grade-I (Class-II Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1986 (hereinafter referred to as the "said rules") for the words, sign and Roman figure "Class-II", the words, sign and Roman figure, "Class-I" shall be substituted.

3. *Amendment of Annexure "A"*.—In Annexure "A" to the said rules,—

(*a*) For the existing provisions against Column No. 3, the following shall be substituted, namely:—

"Class-I Gazetted";

(*b*) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"7220-200-8100-275-10300-340-11660";

(*c*) For the existing provisions against Column No. 5, the following shall be substituted, namely:—

"Selection";

(*d*) For the existing provisions against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Superintendent Grade-II with at least 3 years of regular service or regular combined with continuous *ad hoc* service, if any in the grade failing which by deputation/secondment/transfer from Government departments; failing both by direct recruitment.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P rules; provided that:—

(i) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the povisions of rule 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *ad hoc* appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account, *ad hoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged" and

(*e*) For the existing provisions against Column No. 12, the following shall be substituted, namely :—

"DPC to be presided over by the Chairman, H. P. Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.".

By order,

Sd/-
Secretary (Panchayat).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित